

No.E.393/0/3/SRRS/Pt.I

EASTERN RAILWAY

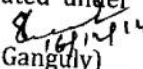
Serial No.156/2014

Kolkata, dated: 16/12/14

ALL CONCERNED

Sub: Clarification regarding reckoning of 20/33 years of qualifying service in respect of Drivers, Gangmen, Specified safety categories in GP 1800 and 1900 under Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff (LARSGESS) – PNM/AIRF Item No. 23/2013 and NFIR's letter No.II/NFIR/95/Pt.IV, dated 03.07.2014.

A copy of Railway Board's letter no. E (P&A) I-2013/FE-2/3, dated 01.12.2014, RBE no. 131/2014 is appended below for information, guidance and necessary action. Railway Board's earlier letter dated 11.03.2013 mentioned therein was circulated under CPO's circular No. 147/2013.


(S.Ganguly)

Asstt. Personnel Officer/R&B
For Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter no. E (P&A) I-2013/FE-2/3, dated 01.12.2014, RBE no. 131/2014 addressed to the GM (P)/All Indian Railways and others.

Sub: Clarification regarding reckoning of 20/33 years of qualifying service in respect of Drivers, Gangmen, Specified safety categories in GP 1800 and 1900 under Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff (LARSGESS) – PNM/AIRF Item No. 23/2013 and NFIR's letter No.II/NFIR/95/Pt.IV, dated 03.07.2014.

The issue of reckoning of prescribed 20/33 years of qualifying service in specified safety categories or otherwise for determining the eligibility of Drivers, Gangmen, Specified safety categories in GP 1800 and 1900 under Liberalised Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff (LARSGESS) has been under consideration of the Board for quite some time.

2. In partial modification of the clarification contained in Board's letter No.E(P&A)I-2011/RT-6 dated 11.03.2013, it has now been decided by Board that for determining the eligibility of the employee in respect of the prescribed qualifying service of 33/20 years under LARSGESS, an employee is required to render total qualifying service of 33/20 years, out of which the employee should have rendered at least the last ten years in the concerned safety category post. Past cases decided otherwise by the railways need not be re-opened.

Contd....2/-

3. In view of the above, for determining the eligibility of the employee under the Scheme, the eligibility conditions for the specified safety categories for seeking retirement under LARSGESS would be as under:-

S. No	Category	Eligibility conditions on the cut off date	
		Qualifying service	Age
1.	Drivers and specified safety category posts in GP 1900.	(i) Total 33 years. (ii) Last ten years in the concerned safety category post.	55-57 years
2.	Gangmen and other specified safety category posts in GP 1800.	(i) Total 20 years. (ii) Last ten years in the concerned safety category post.	50-57 years

4. The other terms and conditions of the Scheme would remain unchanged.

Index no. 1031:- Clarification regarding reckoning of 20/33 years of qualifying service in respect of Drivers, Gangmen, Specified safety categories in GP 1800 and 1900 under Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff (LARSGESS) – PNM/AIRF Item No. 23/2013 and NFIR's letter No.II/NFIR/95/Pt.IV, dated 03.07.2014.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)



सं. ई(पीएंडए)/११/२०१३/एफत-१२३

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें

आरबीई सं. १३१ /२०१४
नई दिल्ली, दिनांक ०१.१२.२०१४

विषय: संरक्षा कर्मचारियों के गारंटीशुदा रोजगार के लिए उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति स्कीम (एलएआरएसजीईएसएस) के अंतर्गत ग्रेड पे १८००/- रुपए और १९००/- रुपए में कार्यरत डाइवर, गैंगमैन, विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटियों के मामले में २०/३३ वर्ष की अर्हक सेवा की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण - पीएनएम/एआईआरएफ मद सं. २३/२०१३ और एनएफआईआर का दिनांक ०३.०७.२०१४ का पत्र सं. ११/एनएफआईआर/९५/पार्ट-IV.

बोर्ड द्वारा कुछ समय से संरक्षा कर्मचारियों के गारंटीशुदा रोजगार के लिए उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति स्कीम (एलएआरएसजीईएसएस) के अंतर्गत ग्रेड पे १८००/- रुपए और १९००/- रुपए में कार्यरत डाइवर, गैंगमैन, विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटियों के कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण के लिए विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटियों में अथवा अन्यथा २०/३३ वर्ष की निर्धारित अर्हक सेवा की गणना के मुद्दे पर विचार किया जा रहा था।

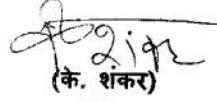
२. बोर्ड के दिनांक १३.१२.२०१३ के पत्र सं. ई(पीएंडए)/११/२०१३/आरटी-६ में अन्तर्विष्ट स्पष्टीकरण में आंशिक संशोधन करते हुए बोर्ड द्वारा अब यह निर्णय किया गया है कि एलएआरएसजीईएसएस के अंतर्गत ३३/२० वर्ष की निर्धारित अर्हक सेवा के संबंध में किसी कर्मचारी की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कर्मचारी द्वारा कुल ३३/२० वर्ष की अर्हक सेवा की गई होनी अपेक्षित है, जिसमें से कर्मचारी द्वारा कम से कम अंतिम दस वर्ष की सेवा संबंधित संरक्षा कोटि के पद पर की गई होनी चाहिए। रेलवे द्वारा विगत में अन्यथा निर्णीत मामलों पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

३. उपर्युक्त को देखते हुए इस स्कीम के तहत कर्मचारियों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए एलएआरएसजीईएसएस के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लेने वाले विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटि के कर्मचारियों के लिए पात्रता की शर्त निम्नानुसार होगी:

क्रम सं.	कोटि	निर्धारित तारीख की पात्रता	
		अर्हक सेवा	आयु
१.	ग्रेड पे १९००/- रुपए में डाइवर तथा विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटि के पद	i) कुल ३३ वर्ष ii) अंतिम दस वर्ष संबंधित संरक्षा कोटि के पद पर रहा होना चाहिए	५५-५७ वर्ष
२.	ग्रेड पे १८००/- रुपए में गैंगमैन और अन्य विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटि के पद	i) कुल २० वर्ष ii) अंतिम दस वर्ष संबंधित संरक्षा कोटि के पद पर रहा होना चाहिए	५०-५७ वर्ष

०६/१२/१४

4. इस स्कीम की अन्य निबंधन एव शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।


(के. शर्कर)

निदेशक स्थापना (पीएंडए)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पीएंडए)- 2013/एफई- 23

नई दिल्ली, दिनांक 01.12.2014

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फोआ
5. सेक्रेटरी, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. सेक्रेटरी जनरल, इरपीफ, कमरा सं. 341-सी, रेलवे बोर्ड।
8. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड लिमिटेडवर्गीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन।
10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन।
11. सेक्रेटरी जनरल, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एस सी/एस टी रेलवे इंप्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001.
13. जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड रेलवे इंप्लाइज़ वेल्फेयर एसोसिएशन (रजि.) 490ए/16, मुकुंदवारा रोड, गुड़गांव।


कृते सचिव, रेलवे बोर्ड